

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

No. 144]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015/PHALGUNA 22, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा.का.नि.191(अ).—केन्द्रीय सरकार, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2), उप-धारा (3) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागार (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा) गया है, नियम 5 में, शब्दों “आहरण और वितरण अधिकारी, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक” के स्थान पर “भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे;

3. उक्त नियमों के, नियम 6 में, शब्दों “आहरण और वितरण अधिकारी, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक” के स्थान पर “भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों के, नियम 8 में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) स्वामित्व का सबूत या पट्टा विलेख या भाटक करार, जो भांडागार का कब्जा दर्शाता हो,”;

5. उक्त नियमों के, नियम 13 में,—

(i) उपनियम (1) में, “दो प्रतियों में” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का इच्छुक कोई भांडागारपाल रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर प्ररूप क1 में प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।”

[फा. सं. टीएफसी/16/2012]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 892(अ), तारीख 8 नवंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 197(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013 ;
2. सा.का.नि. 811(अ), तारीख 17 नवंबर, 2014 ; और
3. सा.का.नि. 821 (अ), तारीख 19 नवंबर, 2014 ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

G.S.R.191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 4 read with sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, for the words “nationalised bank in favour of the Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable at New Delhi”, the words “scheduled commercial bank in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority payable at New Delhi or through Electronic Clearing System” shall be substituted;

3. In the said rules, in rule 6, for the words “nationalised bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable at New Delhi”, the words “scheduled commercial bank in favour of the Warehousing Development and Regulatory Authority payable at New Delhi or through Electronic Clearing System” shall be substituted;

4. In the said rules, in rule 8, for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) proof of ownership or lease deed or rent agreement, showing possession of the warehouse,”;

5. In the said rules, in rule 13,—

- (i) in sub-rule (1), the words “in duplicate” shall be omitted;
(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(3) Any registered warehouseman desirous of renewal of registration, may make an application to the Authority in Form A1 within three months before the expiry of the period of registration.”.

[F. No. TFC/16/2012]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 892(E), dated the 8th November, 2010 and subsequently amended *vide*:—

1. G.S.R. 197(E), dated the 2nd April, 2013;
2. G.S.R. 811(E), dated the 17th November, 2014; and
3. G.S.R. 821(E), dated the 19th November, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा.का.नि. 192(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 के, विनियम 3 के, उप-विनियम (2) में, खंड (ii) और खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(ii) स्वामित्व का सबूत या पट्टा विलेख या भाटक करार, जो भांडागार का कब्जा दर्शाता हो ;

(iii) एक वचनबंध कि भांडागार का कारबार चलाने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है ;”

[फा. सं. डब्लयुडीआरए/2014/1-1(1)/तक.II]

रणवीर सिंह, संयुक्त सचिव, डब्लयुडीआरए

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 19(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2015

G.S.R.192(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-sections (2) of Section 35 read with Section 51 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, in consultation with the Warehousing Advisory Committee and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Warehousing Development and Regulatory Authority (Warehouse Accreditation) Regulations, 2011, namely.—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Warehouse Accreditation) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing Development and Regulatory Authority (Warehouse Accreditation) Regulations, 2011, in regulation 3, in sub-regulation (2), for clauses (ii) and (iii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(ii) proof of ownership or lease deed or rent agreement, showing possession of the warehouse;

(iii) an undertaking that all the local laws have been complied with for carrying out the business of warehousing;”.

[F. No. WDRA/2014/1-1(1)/Tech.II]

RANVIR SINGH , Jt. Secy., WDRA

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.19 (E), dated the 28th December, 2011.